उत्तराखण्ड शासन
सहकारिता,गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1
संख्या–182/XIV–1/2019–05(30)/2017
देहरादून, दिनांक 22 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा संचालित 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम' (N.C.D.C.), नई दिल्ली की CSISAC (Componant-I) के अर्न्तगत राज्य की सहकारी समितियों/संस्थाओं के समुचित क्रियान्वयन, सुदृढ़ीकरण, अनुश्रवण व सुधारात्मक उपायों के तहत ग्राम्य विकास, संयुक्त सहकारी कृषि, उत्पादन वृद्धि की मूल्य श्रृंखला निर्मित कराकर मूल्य संवर्द्धन किये जाने एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से रोजगार सृजन एवं कृषकों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोके जाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–141/(1)/XIV–1/2019, दिनांक 08 फरवरी 2019 के अनुपालन में उक्त परियोजना के सफल संचालन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु समितियों का गठन किया जाता है:–

राज्य स्तरीय मागदर्शक समिति (S.L.P.C.)

विभागों की प्राथमिकताओं के आधार पर योजना अन्तर्गत प्रस्तावों को सम्मिलित किये जाने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मार्गदर्शक समिति (State Level Pioneer Committee) का एतद्द्वारा निम्नवत गठन किया जाता है:–

1. मा0 वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार – सदस्य
2. मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार – सदस्य
3. मा0 सहकारिता मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार – सदस्य
4. मा0 कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार – सदस्य
5. मा0 उद्यान मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार – सदस्य
6. मा0 पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार – सदस्य
7. मा0 दुग्ध विकास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार – सदस्य
8. मा0 मत्स्य पालन विभाग मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार – सदस्य
9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
10. सचिव सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य सचिव।

उक्तानुसार गठित राज्य स्तरीय मार्गदर्शक समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम 02 बार अनिवार्य रूप से आहूत की जायेगी।

(15)

राज्य स्तरीय नियोजन समिति (S.L.P.C.)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष विभिन्न संस्थाओं/ विभागों द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर चर्चा करने तथा तद् अनुसार प्रतिवेदन अग्रसारित करने, संस्तुति प्रदान करने हेतु प्रमुख सचिव/ सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नियोजन समिति (State Level Planning Committee) का एतद्द्वारा निम्नवत गठन किया जाता है:–

1. निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड – सदस्य
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, देहरादून – सदस्य
3. निदेशक, डेयरी विकास विभाग – सदस्य
4. निदेशक, कृषि विभाग – सदस्य
5. निदेशक, पशुपालन विभाग – सदस्य
6. निदेशक, उद्यान / जड़ी बूटी संस्थान – सदस्य
7. निदेशक, मत्स्य विकास विभाग – सदस्य
8. निदेशक, सेन्टर फॉर एरोमेटिक प्लान्ट्स – सदस्य
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक – सदस्य
10. नोडल अधिकारी, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना –सदस्य सचिव।

उक्तानुसार गठित समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार अनिवार्य रूप से आहूत की जायेगी, जिसमें क्षेत्रवार संस्थाओं/विभागों द्वारा तैयार करायी गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परीक्षण कर विचार–विमर्श के उपरान्त स्वीकृति हेतु "**राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं अनुमोदन समिति**" **(SLPC)** को अग्रसारित की जायेगी।

राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं अनुमोदन समिति (S.L.S.S.C.)

राज्य स्तरीय नियोजन समिति द्वारा संस्तुत/अग्रसारित की गई, विभिन्न संस्थाओं द्वारा तैयार की गई विस्तृत योजना रिपोर्ट को अनुमोदित करने तथा विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा करने हेतु प्रदेश स्तर पर राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं अनुमोदन समिति (State Level Steering and Sanctioning Committee) का मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एतद्द्वारा निम्नवत गठन किया जाता है:–

1. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अथवा उनके द्वारा नामित सक्षम अधिकारी – सदस्य
2. प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त एवं नियोजन – सदस्य
3. प्रमुख सचिव/ सचिव, कृषि, उद्यान, सगन्ध पौध – सदस्य
4. प्रमुख सचिव/ सचिव, पशुपालन विभाग – सदस्य
5. प्रमुख सचिव/ सचिव, दुग्ध विकास विभाग – सदस्य
6. प्रमुख सचिव/ सचिव, मत्स्य विभाग – सदस्य
7. प्रमुख सचिव/ सचिव, पर्यटन विभाग – सदस्य
8. प्रमुख सचिव/ सचिव, सहकारिता विभाग – सदस्य सचिव।

उक्तानुसार गठित समिति की बैठक त्रैमासिक आधार पर एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 04 बार अनिवार्य रूप से आहूत की जायेगी, जिसमें राज्य स्तरीय नियोजन समिति द्वारा प्रस्तुत विस्तृत योजना रिपोर्ट पर विचार–विमर्श किया जायेगा। तदनुसार समिति द्वारा उपलब्ध धनराशि के आधार पर प्रस्तुत योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जायेगी, जिसके आधार पर सम्बन्धित संस्थाओं/ विभागों को धनराशि का आवंटन किया जायेगा। क्षेत्रवार संस्थाओं/ विभागों द्वारा उक्त संचालित की जा रही योजनाओं की समीक्षा "राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं अनुमोदन समिति" द्वारा की जायेगी।

योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), नई दिल्ली द्वारा योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन उत्तराखण्ड राज्य को किये जाने के उपरान्त राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं अनुमोदन समिति के स्तर से स्वीकृत परियोजनाओं पर धनराशि का आवंटन, वित्त विभाग की सहमति/प्रत्याभूति के दृष्टिगत सचिव सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मुख्य परियोजना निदेशक, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, उत्तराखण्ड को किया जायेगा, उनके द्वारा स्वीकृत योजनानुसार धनराशि का आवंटन सम्बन्धित संस्थाओं/ विभागों को किया जायेगा।

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या– 182 /(1)/XIV–1/2019–05(30)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली।
2 महालेखाकार उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3 समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4 प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5 स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6 निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।
7 मण्डलायुक्त, कुमांऊ/ गढ़वाल उत्तराखण्ड।
8 आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड, पौडी.गढवाल।
9 क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, देहरादून
10 निदेशक, कृषि/ पशुपालन/डेयरी विकास/मत्स्य पालन/रेशम विभाग, उत्तराखण्ड।
11 निदेशक, सेन्टर फॉर एरोमेटिक प्लान्ट्स, सेलाकुई, देहरादून।
12 प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी।
13 निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14 गार्ड फाइल।

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

[illegible]वेन्द्र सिंह रावत

मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय,
देहरादून-248001
फोन : 0135-2755177 (का.)
0135-2650433
फैक्स : 0135-2712827

अ.शा.पत्र संख्याः 181 /सहकारिता/सी.एम./2019
दिनांक : देहरादूनः 22 फरवरी, 2019

प्रिय श्री खुल्बे जी,

कृपया उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु "राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना" तैयार करायी गयी एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा परियोजना के लिए **रूपये 3340.00 करोड़ (रूपये तीन हजार तीन सौ चालीस करोड़ मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। आपको विदित ही है कि **"उत्तराखण्ड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना"** का शुभारम्भ मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2019 को किया जाना प्रस्तावित था। मौसम खराब होने के कारण मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा दूरभाष पर सम्बोधित कर परियोजना का शुभारम्भ किया गया।

इस परियोजना में प्राथमिक स्तर पर सहकारी समितियों को ग्रामीण आर्थिक विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने, पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने, किसानों की आय में वृद्धि करने, बाजार की उपलब्धता, शीत भण्डारण की व्यवस्था करने, बंजर हो रही भूमि को सम्मिलित करते हुये क्लस्टर आधारित सामूहिक सहकारी खेती को प्रोत्साहित करने, प्राथमिक क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की व्यवस्था करना, रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसर उपलब्ध कराना एवं राज्य का संतुलित विकास जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की पूर्ति को सम्मिलित किया गया है।

आप अवगत ही हैं कि उत्तराखण्ड राज्य एक दुर्गम पर्वतीय राज्य है तथा पलायन की समस्या से जूझ रहा है। विगत में मा० कृषि मंत्री जी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की उपस्थिति में यह सहमति बनी थी कि निगम द्वारा वित्त पोषित परियोजना में उत्तराखण्ड राज्य को 20% के स्थान पर 40% अनुदान अनुमन्य किया जायेगा। इस सम्बन्ध में ज्ञात हुआ है कि उक्त आशय का प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि CSISAC योजना के तहत उत्तराखण्ड राज्य हेतु अनुदान 20% के स्थान पर 40% अनुमन्य करवाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

सद्भावनाओं सहित,

भवदीय,

(त्रिवेन्द्र सिंह रावत)

श्री भास्कर खुल्बे,
सचिव,
मा० प्रधानमंत्री,
भारत सरकार।

डा. धन सिंह रावत
राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
उच्च शिक्षा, सहकारिता, प्रोटोकाल,
दुग्ध विकास

उत्तराखण्ड सरकार

विधान सभा भवन
देहरादून
कक्ष सं. : 115
फोन : (0135) 2666410
फैक्स : (0135) 2666411 (का.)

पत्रांक 426/ ...../2019
दिनांक 31/01/19

आदरणीय महोदय,

दिनांक 12 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मेरे द्वारा आपसे की गई भेंट/बैठक के दौरान उत्तराखण्ड हेतु एन0सी0डी0सी0 (NCDC) परियोजना के तहत रूपया 3340 करोड़ रूपये उत्तराखण्ड सहकारिता विभाग को दिये जाने की सहमति प्रदत्त की गई थी।

परियोजना का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किये जाने के दृष्टिगत, इस कार्य हेतु दिनांक 14 फरवरी, 2019 की तिथि मिलने की सम्भावना प्रतीत हो रही है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्रस्तावित एन0सी0डी0सी0 (NCDC) परियोजना की स्वीकृति यथाशीघ्र प्रदान करने की कृपा करेंगे तथा साथ ही मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि इस शुभ अवसर पर मेरा आमंत्रण स्वीकार कर अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे कृतार्थ करेंगे।

सादर,

भवनिष्ठ,

(डा0 धन सिंह रावत)

प्रतिष्ठा में,
श्री राधा मोहन सिंह जी,
माननीय मंत्री,
कृषि एवं किसान कल्याण,
भारत सरकार।